



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

प्रति,

श्री आदर्श शर्मा
आत्मज श्री सुभाष शर्मा,
निवासी- ग्राम रातीबढ़, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र.)

No.: 2643 /SEIAA/23

Date: 30/11/23

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/294587/2022 - प्रकरण क्रमांक 4390/2015 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव कुमार जैन आत्मज श्री प्रमोद कुमार जैन निवासी- जी-6, डेसी रॉस्प्रिंग वैली, कटारा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, रकबा 4.00 हे., उत्पादन क्षमता 47129 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 200/1, ग्राम आबिदाबाद, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आदर्श शर्मा आत्मज श्री सुभाष शर्मा, निवासी- ग्राम रातीबढ़, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में पत्थर खदान, रकबा 4.00 हे., उत्पादन क्षमता 47129 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 200/1, ग्राम आबिदाबाद, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.), हेतु जारी पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण का आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव कुमार जैन आत्मज श्री प्रमोद कुमार जैन निवासी- जी-6, डेसी रॉस्प्रिंग वैली, कटारा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आदर्श शर्मा आत्मज श्री सुभाष शर्मा, निवासी- ग्राम रातीबढ़, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- II. श्री आदर्श शर्मा आत्मज श्री सुभाष शर्मा, निवासी- ग्राम रातीबढ़, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. SEIAA द्वारा पत्र क्र. 1766/SEIAA/2015 दिनांक 31.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पत्र क्र. 828/SEIAA/2019 दिनांक 23.05.2019 द्वारा हस्तांतरित पर्यावरण स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 3266 दिनांक 27.09.2022 (वैधता 06.10.2025 तक) की प्रति।
- VII. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 828/SEIAA/2019 दिनांक 23.05.2019 के माध्यम से श्री गौरव कुमार जैन आत्मज श्री प्रमोद कुमार जैन निवासी- जी-6, डेसी रॉस्पिंग वैली, कटारा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.), द्वारा पत्थर खदान, रकबा 4.00 हे., उत्पादन क्षमता 47129 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 200/1, ग्राम आबिदाबाद, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आदर्श शर्मा आत्मज श्री सुभाष शर्मा, निवासी- ग्राम रातीबढ़, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :-

- i. उपरोक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 23.05.2019 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के आदेश क्र. 3266/खनिज/उ.प./2022 दिनांक 27.09.2022 अनुसार दिनांक 06.10.2025 तक वैध मान्य रहेगी।
- ii. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. 2644 /SEIAA/2023
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक : 30/11/23 etc

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।

4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. श्री गौरव कुमार जैन आत्मज श्री प्रमोद कुमार जैन निवासी- जी-6, डेसी रॉस्प्रिंग वैली, कटारा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी



